मध्यप्रदेश शासन
पर्यटन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 10-62/2016/तैंतीस

भोपाल, दिनांक 28/02/2017

प्रति,

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम
भोपाल।

विषयः-पर्यटन नीति 2016 लागू होने के उपरान्त पूर्व नीति के प्रावधानों के तहत विभिन्न अनुदानों हेतु समयावधि बाबत् निर्देश।

---0---

मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 की कंडिका क्रमांक- 21.1 (निरसन) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

"नवीन नीति के लागू होने के दिनांक से" पर्यटन नीति 2010 (यथा संसोधित-2014)" निरसित मान्य की जायेगी तथापि पूर्व नीति के लागू रहने की अवधि में विभिन्न अनुदानों एवं सुविधाओं हेतु पात्र इकाईयों पूर्व नीति के प्रावधानों के अंतर्गत यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकेंगी"

उपरोक्त अनुदानों से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत, विभाग द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है:-

1. पूर्व पर्यटन नीति 2010 (यथा संधोशित 2014) के अंतर्गत अनुदान/छूट प्राप्ति हेतु पात्र इकाईयों को 30 मार्च 2017 तक आवेदन करने की पात्रता होगी, उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।
2. पर्यटन नीति 2016 के लागू होने की तारीख 01 अक्टूबर 2016 के पूर्व के अनुदान/छूट प्रकरणों का निराकरण शासन द्वारा तत्समय पर जारी निर्देशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार होगा।

(हरि रंजन राव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

28 FEB 2017

Pathak/Jitu/T-I/C-I